न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./2005/2319/नागौर

1– मांगीदेवी (मृतक) पत्नि मांगीलाल जरिये वारिसान :–
- 1/1– मूलचन्द पुत्र मांगीदेवी
- 1/2– प्रेमसुख पुत्र मांगीदेवी
- 1/3– गोविन्द प्रसाद पुत्र मांगीदेवी
- 1/4– लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीदेवी
- 1/5– संतोष पुत्री मांगीदेवी
- 1/6– भंवरी देवी पुत्री मांगीदेवी
- 1/7– राजश्री पुत्री मांगीदेवी
- 1/8– बसन्ती पुत्री मांगीदेवी

2– सोहनीदेवी पत्नि जगदीश
समस्त जाति ब्राहमण निवासी सिराली हाल मालगांव तहसील लाडनू जिला नागौर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– मु. पार्वती बेवा रामचन्द्र
2– छोटू पुत्र रामचन्द्र
3– विमला पुत्री रामचन्द्र
4– महावीर पुत्र रामचन्द्र
5– राजू पुत्र रामचन्द्र
6– मांगीलाल पुत्र शिवनारायण
7– घनश्याम पुत्र जगदीश
8– सम्पत पुत्र जगदीश
9– दुर्गा पुत्री जगदीश
10– किरण पुत्री जगदीश
11– मंजू पुत्री जगदीश
12– कैलावती पुत्री जगदीश
13– शान्ति पुत्री जगदीश
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सिकराली तहसील लाडनू जिला नागौर।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील/टी.ए./2005/2319/नागौर
मांगीदेवी (मृतक) जरिये वारिसान बनाम मु. पार्वती व अन्य

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :–
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

दिनांक : नवम्बर, 2021

निर्णय

1– अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 4–4–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टगण / वादीयागण ने उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं के न्यायालय में राजस्व वाद पत्र धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत करके निवेदन किया कि वाके ग्राम सिकराली में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–43, 87, 89, 149, 260, 274 कुल रकबा 127 बीघा 9 बिस्वा एवं ग्राम तिपनी में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–55 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शिवनारायण पुत्र चतुर्भज (अपीलान्टगण का ससुर) दर्ज है। जिसके तीन लड़के मांगीलाल रेस्पो. संख्या–6 (अपीलान्ट संख्या–1 का पति), जगदीश (अपीलान्ट संख्या–2 का पति एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या–7 लगायत 13 का पिता) तथा रामचन्द्र (जिसके वारिसान रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 हैं) थे, जिनमें से जगदीश व रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त रामचन्द्र अपने पिता शिवनारायण से पुश्तैनी भूमि का पारिवारिक बंटवारे में अलग हो गया एवं गांव मलगांव में बस गया तथा रामचन्द्र अपने खातेदारी की 1/4 हिस्सा वादग्रस्त भूमि पर जयपुर नगौर ग्रामीण बैंक निम्बीजोधा से ऋण अदा नहीं करने के कारण बैंक द्वारा मुकदमा नम्बर–216/82 कायम किया जाकर बैंक वसूली की कार्यवाही की गयी एवं रामचन्द्र के उक्त 1/4 हिस्से को कुर्क किया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की एवं इस पर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विस्तृत कानूनी विवेचन करने के बाद वाद पत्र के संदेह से परे साबित पाये जाने के कारण अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2004 के द्वारा वाद पत्र को डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पो. संख्या–1 लगायत 3 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–4–2005 के द्वारा स्वीकार करके पत्रावली को पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दी। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–4–2005 कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के एकदम विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2004 के द्वारा वाद पत्र को डिक्री किया जिसको बिना किसी ठोस कानूनी आधार के प्रथम अपील के माध्यम से निरस्त करने में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने एकदम मनमाने अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 4–4–2005 के द्वारा प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्टगण को साक्ष्य, सबूत का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु पत्रावली को रिमाण्ड करने का गैर कानूनी निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने सीपीसी के आदेश–41 नियम–24 व 25 में वर्णित कानूनी प्रावधानों को एकदम अनदेखा करके इनके विपरीत अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 4–4–2005 पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–4–2005 निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2004 को बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– आरएलडब्ल्यू.–1999(3) (एस.सी.) पेज–394
2– आरबीजे–1998 पेज–49

5– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं में जब स्थानान्तरित होकर आई थी तब प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई थी। उनकी अनुपस्थिति में ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा डिक्री कर दिया गया जो

कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने उचित रूप से अपास्त कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत निर्णय है। पत्रावली में ''सेल सार्टफिकेट'' की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है इसलिये जब तक ''सेल साटफिकेट'' की प्रति जारी नहीं हो जाती है तब तक नीलामी का कार्यवाही पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री दे दी है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री जारी करने का कोई नियम नहीं है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण था जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने निरस्त कर एवं प्रकरण पुनः सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करने के हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1- एआईआर-2008 (एस.सी.) पेज-2054
2- एआईआर-1977 पेज-131
3- आरआरडी-1995 पेज-338
राजस्व मण्डल का निर्णय दि. 4-7-2016 (बदाराम / धर्माराम)

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रदर्श-4 नकल जमाबन्दी संवत 2039-42 के अन्तर्गत विवादित आराजी ग्राम सिकराली किता 4 रकबा 127 बीघा 9 बिस्वा पर शिवनारायण पुत्र चतुरभुज कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-3 जमाबन्दी संवत 2041-44 के अनुसार ग्राम तिपनी के खसरा नम्बर-55 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा पर भी शिवनारायण पुत्र चतुरभुज कौम ब्राहमण सिकराली, खातेदार अंकित है। प्रदर्श-1 व 2 इकरारनामा की प्रति हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि में मृतक रामचन्द्र का हिस्सा अलग कर दिया। उक्त के अतिरिक्त जो भी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न हैं उन पर कोई प्रदर्श 'मार्क' नहीं है इसलिये उन्हें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

8- वादीगण / अपीलार्थीगण का यह कथन है कि उन्होंने विवादित भूमि नीलामी से क्रय की है लेकिन इस संबंध में उन्होंने एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। नीलामी प्रक्रिया सक्षम अधिकारी द्वारा ''सेल सार्टिफिकेट''

जारी होने के पश्चात ही मानी जाती है। चूंकि इस प्रकरण में ''सेल सार्टिफिकेट'' पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः बिना ''सेल सार्टिफिकेट'' के नीलामी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार वादीगण अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाये हैं।

9– अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने उक्त समस्त बिन्दुओं का विधिवत विवेचन किया है और परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं का निर्णय दिनांक 14–6–2004 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है। उक्त निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत होने से पोषणीय है। यह अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10– अतः यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय दिनांक 4–4–2005 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य